प्रेस नोट,
दिनांक 11.01.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त रामलोचन यादव पुत्र मौजीराम नि0 ग्राम अर्जुन पुरवा मौजा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.01.2025 की शाम थाना नवाबगंज के उ0नि0 विभव सिंह मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि मांझा राठगव के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामलोचन यादव पुत्र मौजीराम नि0 ग्राम अर्जुन पुरवा मौजा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–12/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विभव सिंह।
02. हे0का0 दया यादव।
03. का0 अखिलेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।